न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरनपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 58/2010

दारा सिंह पुत्र दीदार सिंह उर्फ दारा सिंह उम्र 40 वर्ष जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

——वादी——

बनाम

1. गुलतार सिंह पुत्र बघेल सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. दीदार सिंह पुत्र बघेल सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. संदीप सिंह पुत्र भीम सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. कलवन्त कौर पत्नी भीम सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. रिछपाल सिंह पुत्र तरलोचन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. हरपाल सिंह पुत्र तरलोचन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. हरपाल सिंह पुत्र तरलोचन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. जसविन्द्र कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. राजकौर बेवा सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. अमरपाल कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. मनजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. जंगीर सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. साहब सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
14. जोगेन्द्र कौर पत्नि सरदूल सिंह पुत्री बघेल सिंह जाति जटसिख निवासी 71 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

——प्रतिवादीगण——

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए

निर्णयः— दिनांकः— 17/7/2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि 18 एफ एफ की जमाबंदी संख्या 12/13 –62 सम्वत् 2048 में गुलतार सिंह प्रतिवादी या 1 व दीदार सिंह प्रतिवादी संख्या 2 व मुखत्यार सिंह उर्फ लाहौर सिंह के नाम मु0 न0 के 24 बीघा नहरी भूमि, मु0न0 29 के 15 बीघा 4 बिस्वा नहरी भूमि, मु0 न0 44 के 15

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

...बीघा नहरी भूमि, मु0 न0 45 के 10 बीघा नहरी भूमि, मु0 न0 56 के 12 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि व मु0 नं0 67/4 के 18 बिस्वा गैर मुमकिन खाला व मु0 नं0 67/5 के 2 बिस्वा गैर मुमकिन खाला व मु0 नं0 67/20 के 6 बिस्वा गैर मुमकिन खाला कुल 66 बीघा नहरी व 1 बीघा 6 बिस्वा गैरमुमकिन खाला 78 बीघा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है। चक 18 एफ एफ की जमाबंदी संख्या 64/63 सम्वत् 2048 में मु0न0 8 के 24 बीघा 12 बिस्वा नहरी भूमि व मु0 नं0 67/21 के 8 बिस्वा गैर मुमकिन खाला कुल 25 बीघा वादी के दादा बघेल सिंह व गुरा सिंह प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। गुरा सिंह की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान व बघेल सिंह के मध्य दावा हुआ व जिसकी डिक्री जारी हुई जो कि इन्तकाल संख्या 170 दर्ज हुआ, जिसके अनुसार गुरा सिंह के वारिसान को किला वाईज भूमि मिली व उसकी डिक्री में बघेल सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 गुलतार सिंह, दीदार सिंह, मुखत्यार सिंह व बघेल सिंह की पुत्री जोगेन्द्र कौर के नाम मु0 नं0 8 का किला वाईज कुल 12 बीघा 10 बिस्वा का इन्तकाल भी दर्ज किया गया। गुरा सिंह के वारिसान के नाम अलग से खाता दर्ज हुआ व बघेल सिंह के वारिसान के नाम अलग से खाता संख्या 9/9 सम्वत् 2064 ता 67 दर्ज हुआ, जिसमें मुखत्यार सिंह की मृत्यु होने के कारण व उसके इकलौते लड़के सुखदेव सिंह की मृत्यु होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या–3 संदीप सिंह व सुखदेव सिंह की पत्नी प्रतिवादी संख्या 9 राजकौर व उसकी पुत्रियां प्रतिवादिनी संख्या 10 व 11 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संख्या 12/13, 62 सम्वत् 2048 जमाबन्दी संख्या 64/63 सम्वत् 2048 जिनकी हाल जमाबन्दियां क्रमशः 10/10 व 9/9 सम्वत् 2064 ता 2067 बनी। इसमें दर्ज बघेल सिंह जो वादी का दादा था कि भूमि दीदार सिंह के हिस्सा में आई, इस कारण यह भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है जिसमें वादी अपने पिता प्रतिवादी संख्या 2 व भाईयों जंगीर सिंह व साहब सिंह के साथ बहिस्सा बराबर का हिस्सा प्राप्त करने, खातेदार घोषित करवाने व अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है व दावा ला पाने का अधिकारी है। चक 18 एफ एफ की हाल जमाबंदी संख्या 10/10 जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 13.156 है0 नहरी भूमि दर्ज है जो जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है जिसमें वादी अपने पिता दीदार सिंह की भूमि जो उसके हिस्से में 6.578 है0 आती थी में से हिस्सा अनुसार भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है लेकिन प्रतिवादी दीदार सिंह ने उक्त भूमि में से अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 जंगीर सिंह को 2.367 है0 व अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 13 साहब सिंह को 1.607 है0 भूमि जरिये दान पत्र दे दी जो गलत व विधि विरूद्ध है। इस कारण उक्त दान पत्र अकृत व शुरू से ही शून्य है जिसका वादी के अधिकारों पर कोई असर नही है। इसके बावजूद 2.604 है0 भूमि दीदार सिंह के पास बकाया रही, इस कारण उसमें से प्रतिवादी के नाम जद्दी जायदाद जो 6.578 है0 भूमि है में से 1/4 हिस्सा यानि 1.644 है0 भूमि बनती है जिसे वादी प्राप्त करने का हकदार है। प्रतिवादी संख्या–2 ने जमाबन्दी संख्या 9/9 सम्वत् 2064 ता 2067 में उसके नाम दर्ज जद्दी जायदाद जो 2.172 है0 में 1/2 हिस्सा दर्ज है उसमें से 1.086 है0 अराजी आई है में से जंगीर सिंह प्रतिवादी को 0.543 है0 व साहब सिंह प्रतिवादी को 0.543 है0 कुल 1.086 है0 जरिये दान पत्र दे दी। उक्त 1.086 है0 भूमि में भी वादी का 1/4 हिस्सा जो 0.271–3/2 है0 बनता है जिसे वादी पाने का हकदार है। इन्तकाल न0 539 व इन्तकाल न. 360 दिनांक 06.08.2010 जो कि जंगीर सिंह, साहेब सिंह के हक में दर्ज किये, उन्हें भी निरस्त करवाने का वादी अधिकारी है व जमाबन्दी संख्या 9/9 सम्वत् 2064 ता 2067 में 0.271–3/2 है0 व जमाबन्दी संख्या 10/10 में दीदार सिंह के हिस्सा में आयी 6.578 है0 भूमि में से 1.644 है0 भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण आज से 15 दिन पूर्व कहा तो हिस्सा देने व बंटवारा करने से साफ इन्कार हो गये। दावा अन्दरमियाद, पूर्ण कोर्ट फीस पर व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व क्षेत्राधिकार का है। दावा पेश करके निवेदन है कि दावा बहक वाद विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें:– चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी संख्या 9/9 सम्वत् 2064 ता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

2067 में दर्ज भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह के हिस्सा की भूमि 1.086 है0 में से 1/4 हिस्सा यानि 0.271–3/2 है0 व जमाबन्दी संख्या 10/10 में दर्ज 6.578 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा जो करीब 1.644 है0 बनती है, बाकी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम बकाया रही 2.604 है0 भूमि में से वादी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होने के कारण उसे 1.644 है0 का खातेदार घोषित किया जावें। दान पत्र के आधार पर दर्ज इन्तकाल नं0 539 दिनांक 06.08.2010 व इन्तकाल नं0 360 दिनांक 06.08.2010 को निरस्त किया जावे व दान पत्र को अकृत व शून्य घोषित किया जावें। अन्य कोई अनुतोष वादी का बनता हो न्यायहित में वह भी वादी को दिलाया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 12, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री वाई. एस. सैनी उपस्थित आये व जबाव दावा पेश किया, जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है– जमाबन्दी संख्या 12/13, 62 सम्वत् 2048 जमाबन्दी संख्या 64/63 सम्वत् 2048 जिनकी हाल जमाबन्दीयां क्रमशः 10/10 व 9/9 सम्वत् 2064 ता 2067 बनी। इसमें दर्ज बघेल सिंह जो वादी का दादा था कि भूमि दीदार सिंह के हिस्सा में आईइस कारण यह भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है। यह कहना गलत है कि जिसमें वादी अपने पिता प्रतिवादी संख्या 2 व भाईयों जंगीर सिंह व साहब सिंह के साथ बहिस्सा बराबर का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हो व खातेदार घोषित करवाने व अपने नाम दर्ज करवाने व उसका राजस्व लगान अलग कराने का अधिकारी हो व दावा ला पाने का अधिकारी हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या–2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि की आय से अन्य भूमि खरीद कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के नाम लगवाकर उनका हिस्सा पूरा कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि एवं अपनी पैतृक भूमि की आय से 52 बीघा 17 बिस्वा भूमि अर्जित की थी और प्रतिवादी संख्या दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि की आय से खरीद की हुई भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के नाम से खरीद की है और उनका हिस्सा पूरा कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने दिनांक 06.09.91 को वादी के नाम से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद करके वादी के नाम लगवा दी थी जिसका इन्तकाल संख्या 158 दिनांक 18.06.1992 सलंग्न जवाबदावा है एवं इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने दृचक 18 एफ एफ के मु0 नं0 28 के 7 बीघा 7 बिस्वा नहरी भूमि दिनांक 02.06.78 को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 स्वयं के नाम से खरीद की थी। प्रतिवादी संख्या 12 जंगीर सिंह का नाम मिठू सिंह भी है और इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृत भूमि की आय से चक 18 एफ एफ के मु0 नं0 41 के किला नं0 5, 7, 8 वादी के एवं मुरबा नं0 41 के किला नं0 9, 10, 14 प्रतिवादी संख्या 13 के नाम दिनांक 16.05.74 को खरीद करके नाम करवा दी थी जिसका इन्तकाल संख्या 69 दिनांक 17.11.78 है एवं प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने दिनांक 05.02.2008 को 0.202 है0 रकबा ओर खरीदकर वादी के नाम करवा दिया था जिसका इन्द्राज भी जमाबन्दी में हो चुका है एवं इसी चक में प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने जद्दी जायदाद की आय से 1–00 बीघा रकबा ओर खरीदकर वादी के नाम करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त भूमि की आय से अर्जित की थी इसलिये उक्त तमाम भूमि भी जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है। प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने पैतृक भूमि की आय से 52 बीघा 17 बिस्वा भूमि खरीद करके भूमि का बंटवारा करके वादी को 14 बीघा 3 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 12 को 13 बीघा 7 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 13 को भी 13 बीघा 7 बिस्वा रकबा देकर सभी का हिस्सा पूरा कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं के नाम अपने हिस्सा की 12 बीघा 3 बिस्वा अपने नाम रखी। अब वादी के नाम 14 बीघा 7 बिस्वा रकबा हो चुका है। इस प्रकार वादी का हिस्सा पूरा हो चुका है। इसके अलावा वादी ने दिनांक 19.08.2010 को एक ईकरारनामा (बंटवारानामा) स्वयं व हम प्रतिवादीगण के नाम बराबर–बराबर हिस्सानुसार भूमि होने बाबत् लिखकर दिया हुआ है। यह

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

यह कथन गलत है कि वादी अपने पिता दीदार सिंह की भूमि जो उसके हिस्सा में 6.578 है0 आती थी में से हिस्सा अनुसार भूमि प्राप्त करने का अधिकारी हो, लेकिन प्रतिवादी दीदार सिंह ने उक्त भूमि में से अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 जंगीर सिंह को 2.367 है0 व अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 13 साहब सिंह को 1.607 है0 भूमि जरिये दान पत्र दे दी जो गलत व विधि विरूद्ध हो। यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह को किसी भी तरह से हस्तान्तरण करने का अधिकार हासिल नहीं हो और इस कारण उक्त दान पत्र अकृत व शुरू से ही शून्य हो, जिसका वादी के अधिकारों पर कोई असर नहीं हो। यह कथन भी गलत है कि इसके बावजूद 2.604 है0 भूमि दीदार सिंह के पास बकाया रही, इस कारण उसमें से प्रतिवादी के नाम जद्दी जायदाद जो 6.578 है0 भूमि है में से 1/4 हिस्सा यानि 1.644 है0 भूमि बनती है जिसे वादी प्राप्त करने का हकदार हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि वादी को उसके हिस्सा अनुसार पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने रकबा पूरा करके दे दिया है। अब वादी का किसी प्रकार को कोई हिस्सा नहीं बनता है और प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 जंगीर सिंह उर्फ मिठू सिंह व प्रतिवादी संख्या 12 साहब सिंह के पक्ष में किया गया दान पत्र सही व वैध है और उक्त दान पत्रों से प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को वादी के बराबर अराजी प्राप्त हुई है और सभी हिस्सेदारों का हिस्सा बराबर हो गया है। यह कथन भी गलत है कि उक्त 1.086 है0 भूमि में भी वादी का 1/4 हिस्सा जो 0.271–3/2 है0 बनता हो, जिसे वादी पाने का हकदार हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त दान पत्रों से प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह न अपने पुत्रों प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 का रकबा पूरा करके उन्हें उनके हिस्सा अनुसार बराबर–बराबर पूरा हो चुका है और अब वादी लालचवश अपने हिस्सा से अधिक भूमि प्राप्त करना चाहता है जिसका वह अधिकारी नही है। यह कथन गलत है कि इन्तकाल नं0 359 व इन्तकाल नं0 360 दिनांक 06.08.2010 जो जंगीर सिंह, साहेब सिंह के हक में दर्ज किये, उन्हे भी निरस्त करवाने का वादी अधिकारी हो व जमाबंदी संख्या 9/9 सम्वत् 2064 ता 2067 में 0.271–3/2 है0 व जमाबन्दी संख्या 10/10 में दीदार सिंह के हिस्सा मे आयी 6.578 है0 भूमि में से 1.644 है0 भूमि प्राप्त करने का अधिकारी हो और उक्त भूमि का बंटवारा करवाकर वादी के नाम अलग से कागजात में दर्ज करवाने का अधिकारी हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त दोनों इन्तकाल संख्या 359 एवं इन्तकाल संख्या 360 सही व वैध है। उक्त इन्तकाल को वादी निरस्त करने का अधिकारी नही है। वादी ने अपने हिस्सा की भूमि पूर्व में प्राप्त कर ली है। वादी हिस्सा से अधिक भूमि प्राप्त करना चाहता है जिसका वह अधिकारी नही है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो कि चलने योग्य नही है, खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन इस प्रकार से है– वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि की आय से भूमि खरीद खरीद कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के नाम लगवाकर उनका हिस्सा पूरा कर दिया है। प्रतिवादी सख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि एवं अपनी पैतृक भूमि की आय से 52 बीघा 17 बिस्वा भूमि अर्जित की थी और प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि की आय से खरीद की और प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि की आय से खरीद की हुई भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 के नाम से खरीद की और उसका हिस्सा पूरा कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने जद्दी जायदाद की आय से दिनांक 06.09.91 को वादी के नाम से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद करके वादी के नाम करवा दी थी जिसका इन्तकाल संख्या 158 दिनांक 18.06.1992 है एवं इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने चक 18 एफ एफ के मुरब्बा नं0 28 के 7 बीघा 7 बिस्वा नहरी भूमि दिनांक 02.06.78 को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 व स्वयं के नाम से खरीद की थी जिसका इन्तकाल संख्या 56 है। प्रतिवादी संख्या 12 जंगीर सिंह का नाम मिठू सिंह भी है और इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक भूमि की आय से चक 18 एफ एफ के मुरबा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

के किला नं0 5, 7, 8 वादी के एवं मु0 नं0 41 के किला नं0 9, 10, 14 प्रतिवादी
13 के नाम दिनांक 16.05.74 को खरीद करके नाम करवा दी थी जिसका इन्तकाल
69 दिनांक 17.11.78 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 दीदार सिंह ने दिनांक 06.02.2008 को
80 रकबा और खरीदकर वादी के नाम लगवा दिया है और इसी चक में प्रतिवादी
2 दीदार सिंह ने 1–00 बीघा रकबा ओर खरीदकर वादी के नाम करवा दिया है। अब
वादी के नाम 14 बीघा 3 बिस्वा रकबा हो चुका है और अब इस प्रकार वादी का हिस्सा पूरा
हो चुका है। इसके अलावा वादी ने दिनांक 19.08.2010 को एक ईकरारनामा (बंटवारानामा)
स्वयं व हम प्रतिवादीगण के नाम हिस्सा अनुसार बराबर–बराबर भूमि होने बाबत् लिखकर
दिया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 दीदार सिंह ने अपनी पैतृक अराजी की आय से विरासतन
प्राप्त अराजी एवं उसकी आय से खरीद की हुई अराजी कुल 52 बीघा 17 बिस्वा भूमि अर्जित
करके उसमें से वादी व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को भूमि देकर सभी का हिस्सा पूरा कर
दिया है। उक्त अराजी जद्दी जायदाद की आय से खरीद की हुई अराजी है इसलिए उक्त
अराजी भी जद्दी जायदाद की तारीफ में आती है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा
पेश किया है जो कि चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश
करके अर्ज है कि वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 8,
14 की तलवी होने के उपरांत उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
प्रतिवादी संख्या 2, 12, 13 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को
दिलवाई गई।

वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया, नकल प्रतिवादीगण अधिवक्ता को दिलवाई गई। वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है– वाद पत्र के शीर्षक में निम्न संशोधन करवाये जाने अति आवश्यक है:– प्रतिवादनी संख्या 9 राजकौर फौत हो चुकी है जिसके कुल तीन वारिस संदीप सिंह, अमरपाल कौर, मनजीत कौर है जो पूर्व में ही पत्रावली में बतौर प्रतिवादी संख्या क्रमशः 3, 10 व 11 पक्षकार बनाये जा चुके है इसलिये अपने वाद पत्र के शीर्षक से प्रतिवादनी संख्या–9 का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 संदीप सिंह के पिता का नाम भीम सिंह दर्ज हो गया है जबकि भीम सिंह के स्थान पर सुखदेव सिंह दर्ज होना चाहिए था जिसे भी संशोधित करवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 हरपाल सिंह एक ही व्यक्ति/पक्षकार है जो कि टंकणीय भूल के कारण वाद पत्र के शीर्षक में दो बार दर्ज हो गया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 7 हरपाल सिंह का नाम भी हटाया जावे। प्रतिवादनी संख्या 10 अमरपाल कौर व प्रतिवादनी संख्या–11 मनजीत कौर की शादी हो चुकी है इसलिये अब उनका नया नाम व पता क्रमशः इस प्रकार है:– अमरपाल कौर उर्फ अमनदीप कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नि रणजीत सिंह पुत्र प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी गावं व डाकखाना सुजावलपूर जिला श्रीगंगानगर एवं मनजीत कौर उर्फ गुरमीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नि साहब सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी करनैल ढाणी तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर (पंजाब)। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधनों के लिये नया संशोधित शीर्षक वाद पत्र पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। वकील प्रतिवादी को वादी के द्वारा संशोधित शीर्षक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ऐतराज नही होने के कारण वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री वाई.एस. सैनी के द्वारा यू.टी. पेश की गई, परंतु प्रतिवादी संख्या 4, 8 व 9 के द्वारा उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलवाना पेश नही होने पर तलवी बंद की जाती है। जवाब स्टेट पेश नही होने पर बन्द किया गया। वाद बिन्दू कायम किए गए जो निम्न प्रकार से है:–

1. आया कि क्या वादी चक 18 एफएफ के इंतकाल संख्या 579 व इंतकाल नं0 360 दिनांक 06.08.2010 जो जगीर सिंह व साहब सिंह के हक मे दर्ज किये गये है उन्हे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

निरस्त करवाकर चक 18 एफएफ की जमाबंदी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 9/9 में 0.271–3/2 है0 व खाता संख्या 10/10 मे दीदार सिंह के हिस्सा मे आई 6.578 है0 भूमि मे से 1.644 है0 भूमि प्राप्त कर खातेदार घोषित होकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करवाने का हकदार है।

2. आया कि क्या वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे नही है।

3. अनुतोष।

––वादी––

––प्रतिवादीगण––

साक्ष्यवादी हेतु कई अवसर दिए जाने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र को साक्ष्य से सिद्ध नही किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा भी अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नही किये गये है। वादी का वाद पत्र चलने योग्य नही है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से वादी का वाद पत्र अदम साक्ष्य मे खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हों। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17/7/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस.),
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner